"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014— फाल्गुन 2, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 2, 1935)

क्रमांक-3215/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) जो शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014

खण्ड

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 को निरसित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं.

(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख.

(ख) "निरसित अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000).

3. (1) नियत तिथि पर, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) निरसित हो जायेगा : निरसन एवं व्यावृत्ति.

परन्तु इस निरसन से प्रभावित नहीं होगा,-

(क) कोई अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित अथवा निर्दिष्ट कि गई है एवं ऐसा आवेदन, निगमन अथवा निर्देश, यथास्थिति, इस अधिनियम के संबंध में ऐसा करने हेतु लागू रहेंगे ; अथवा

(ख) कोई ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो "निरसित अधिनियम" के अधीन प्राप्त, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो ; अथवा

(ग) "निरसित अधिनियम" के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या होने दी गई किसी बात के परिणामों पर ; अथवा

(घ) "निरसित अधिनियम" के विरुद्ध कारित किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर ; अथवा

(ङ) इस धारा के खण्ड (क) से (घ) के अधीन किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियाँ या उपचार पर और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रविर्तित किये जा सकेंगे, जैसे कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था.

(2) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत तिथि को तथा नियत तिथि से निरसित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारिता, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अन्तर्गत पंजीकृत समझी जाएंगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधान, ऐसी सहकारिताओं को विनियमित करने के लिए लागू होंगे.

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सहकारिता के संचालक मण्डल द्वारा बनाई गई उप-विधियां और विनियम, जहां तक वे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) और उसके अधीन बनाये गये, नियमों के प्रावधानों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अंतर्गत परिवर्तित या विखंडित न कर दिए जायें.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

भारत का संविधान "संविधान (संतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011" द्वारा संशोधित किया गया है. उक्त अधिनियम के द्वारा अंत:स्थापित, भाग नौ ख के अनुच्छेद 43ख के अनुसार, राज्य, सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्तशासी क्रियाकलापों, प्रजातांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोन्नत करने हेतु प्रयास करेगा.

चूंकि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अनेक प्रावधान संविधान से असंगत है एवं उपरोक्त अधिनियम अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, अतएव, उपरोक्त निदिष्ट संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, 1960 में आवश्यक संशोधन किया है.

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 का निरसन आवश्यक हो गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 3-2-2014

पुन्नूलाल मोहले
सहकारिता मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.